

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अवमानना प्रा.प.सं. अपील संख्या एवं अपीलार्थी/प्रार्थी का नाम	प्रत्यर्थागण/अप्रार्थागण का नाम
1.	अवमानना प्रा.प.संख्या 63/2021 (अपील सं.1101/2020) श्रीमती सुशीला देवी	1. राकेश लुहाडिया, मुख्य अभियंता (प्रशा.) जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, पीएचईडी मुख्यालय परिसर, राजस्थान, जयपुर 2. गिरीराज चौधरी, सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सब डिविजन, खण्डेला, जिला सीकर।
2.	अवमानना प्रा.प.संख्या 64/2021 (अपील सं.1108/2020) महेन्द्र कुमार शर्मा	
3.	अवमानना प्रा.प.संख्या 66/2021 (अपील सं.1100/2020) श्रीराम यादव	
4.	अवमानना प्रा.प.संख्या 65/2021 (अपील सं.1181/2020) रामजी लाल राव	

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.06.2021

आदेश की दिनांक : 21.11.2022

उपस्थित :-

प्रार्थी-अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. शर्मा, अभिभाषक

अप्रार्थागण-प्रत्यर्थागण की ओर से : श्री हेमन्त धारिवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)  
शुचि शर्मा, सदस्य

### आदेश

- उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अवमानना प्रार्थना पत्र की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है।  
अतः इन समस्त अवमानना प्रार्थना पत्रों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित

किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 63/2021 श्रीमती सुशीला देवी बनाम राकेश लुहाड़िया, मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, मुख्यालय जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

2. प्रार्थी-अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 1101/2020 में दिनांक 15.02.2021 को पारित आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 15.02.2021 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :-

" The relaxation in terms of provision of Section-4 RCSAT Act, 1976 is hereby granted. We find no merit in the objection raised by the respondent. It is a settled law that the promotion must entail higher emoluments. Therefore, the prayer of the appellant is accepted to the extent that his pay scale after completion of 18 and 27 years on grant of II & IIIrd selection Scale be revised and he may be fixed in the next higher pay scale which will be higher than what he was getting at that stage after grant of I & II Selection Scale. He will be entitled for all consequential benefits in terms of pay arrears due on account of revised pay fixation and retiral benefits. No order as to the interest.

Original order may be kept on the file of 1097/2020 Shri Ghanshyam Raiger V/s Chief Engineer (Admin.) Public Health & Engineering Department, Head Office, Rajasthan, Jaipur & Others and a copy thereof in the file of Appeal No. 1098/2020 to 1108/2020 and Appeal no. 1181/2020 as mentioned in the above table.

With this appeal stands disposed off.

Copy of this order may be kept on each individual appeals as mentioned in above table tagged with this appeal."

3. उनका आगे अभिकथन है कि प्रार्थी-अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के आदेश की पालना करने हेतु विभाग के समक्ष एक विधिक नोटिश दिनांक 08.04.2021 (अनुलग्नक-4) को प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 15.02.2021 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। प्रार्थी-अपीलार्थी माननीय अधिकरण के आदेश के अनुसार नियमित होने एवं वेतन भत्ते एवं अन्य परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, किन्तु आज दिनांक तक अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया

गया है, जो कि वह प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थागण जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। इसलिए माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्था विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 15.02.2021 (अनुलग्नक-3) की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्था विभाग के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।

4. अप्राथीगण-प्रत्यर्थागण की ओर से अवमानना प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया और कथन किया गया कि उत्तरदाता विपक्षी के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई अवमानना कारित नहीं की गयी है। उत्तरदाता विपक्षी राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारी होने के साथ-साथ सभ्य नागरिक भी है और वे न्यायपालिका में पूरी-पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं। माननीय अधिकरण के आदेशों की पालना में विपक्षी ने कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कोताई नहीं की है। अपीलार्थी सेवानिवृत्त पम्पचालक तृतीय उपखंड नीमकाथाना निवासी कांवट जिला सीकर द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में 18, 27 वर्ष चयनित वेतनमान श्रृंखला में आगामी वेतन श्रृंखला हेतु अपील दायर की गई है। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1998 होने की उपरांत अपीलार्थी को दिनांक 19.09.1996 से नवीन वेतनमान 4000-100-6000 में दिनांक 25.01.1997 से 18 वर्षीय संशोधित चयनित वेतनमान में मूल वेतन 4300 पर निर्धारण किया गया। अतः अपील निर्णय दिनांक 15.02.2021 की अनुपालना में अपीलार्थी का 18 वर्षीय संशोधित चयनित वेतनमान दिनांक 19.09.1996 में वेतनमान 5000-150-8000 में मूल वेतन निर्धारण करवाने हेतु संशोधित प्रपत्र तैयार कर स्वीकृति एवं आगामी कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है। अपीलार्थी दिनांक 19.09.2005 से नवीन वेतनमान 5000-150-8000 में दिनांक 19.09.2005 से 27 वर्षीय चयनित वेतनमान में मूल वेतन 5450 निर्धारण किया था। अतः अपील निर्णय दिनांक 15.02.2021 की अनुपालना में अपीलार्थी को 27 वर्षीय संशोधित चयनित वेतनमान दिनांक 19.09.2005 में वेतनमान 5500-175-9000 में मूल वेतन 6500 पर निर्धारण करवाने हेतु संशोधित प्रपत्र तैयार कर स्वीकृति एवं आगामी कार्यवाही हेतु भिजवाया गया

है। अतः वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर अपीलार्थी को भुगतान कर दिया जावेगा। अवमानना प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी-अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अवमानना प्रार्थना पत्र को निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी-अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपने जवाब के तथ्यों की पुनरावृत्ति की।
6. यह स्वीकृत है कि अधिकरण ने प्रार्थी-अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील स्वीकार कर ऊपर वर्णित आदेश के अनुसार अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट है कि अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151) के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :-

*"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."*

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86) में प्रिवी काउंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :-

*"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."*

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L. J. 1030) में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :-

*"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a*

*Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."*

9. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 15.02.2021 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।
10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी—अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)